Page No.
Date

Q. संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? इसके गुण एवं दोष बताइए।

What do you mean by Joint Family? Discuss its merits and demerits.

अथवा

संयुक्त परिवार का अर्थ एवं विशेषता बताइए।

Ans:-

संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। जब परिवार में पति-पत्नी तथा बच्चों के अतिरिक्त अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं तब ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें बूढ़े दादा-दादी, चाचा-चाची, कई विवाहित भाई-भतीजे तथा उनकी बहुएँ, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री तथा घर में कार्य करने वाले नौकर एवं अतिथि भी परिवार के ही सदस्य माने जाते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है और गाँव में आज भी संयुक्त परिवारों का प्रचलन है।

डा० इरावती कार्वे ने संयुक्त परिवार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि —

"संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही आवास में रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका भोजन खाते हैं, जिनका सम्मिलित संपत्ति पर अधिकार होता है एवं जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं।"

इसी प्रकार डा० श्यामाचरण दुबे ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि —

"यदि अनेक केन्द्रीय परिवार एक साथ रहते हो, उनमें निकटता का संबंध हो, वे एक ही साथ भोजन करते हो तथा एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तब ऐसे सम्मिलित परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है।"

इसी प्रकार देसाई, जोशी, फेयरचाइल्ड, किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने भी विभिन्न आधारों पर संयुक्त परिवार को परिभाषित किया है। अर्थात् संयुक्त परिवार में सामान्य भोजन, निवास स्थान, सामान्य आय एवं संपत्ति, सामान्य पूजा एवं धर्म तथा एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए।

इस प्रकार संयुक्त परिवार अनेक पीढ़ियों के रक्त संबंधियों का वह संगठन है जिसमें सभी सदस्य पैतृक या स्वयं उपार्जित संपत्ति का उपभोग करते हैं, साथ-साथ रहते हैं तथा असीमित उत्तरदायित्व की भावना से बंधे रहकर एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं।

संयुक्त परिवार के लाभ या गुण या विशेषता :-

संयुक्त परिवार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर उसे सामाजिक-सांस्कृतिक प्राणी बनाने का कार्य करता है। इसलिए भारत में बहुत अधिक समय तक इसका प्रचलन रहा है। संयुक्त परिवार लाभ, गुण या विशेषता निम्नलिखित है:-

(1) व्यय में बचत :-

संयुक्त परिवार में सभी व्यय व्यक्तिगत रूप से नहीं होकर एक सामान्य आय से किये जाते हैं। इससे सभी सदस्यों को अपनी "आवश्यकताओं की वस्तुओं का अलग से प्रबंध

नहीं करना पड़ता और परिवार की संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं सभी के उपयोग के लिए होने से लाभ (खर्च) कम होती है।

(2) धन का समान वितरण :—

इसमें किसी भी व्यक्ति का पारिवारिक आय तथा संपत्ति या स्वयं उपार्जित आय पर विशेष अधिकार नहीं होता है। इसमें अधिक कमानेवाले, कम कमानेवाले तथा नहीं कमानेवाले में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के बीच धन को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यय तथा वितरण किया जाता है।

(3) संपत्ति की विभाजन से रक्षा :—

संपत्ति का विभाजन से रक्षा संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है। इसमें सभी सदस्य मिल-जुलकर रहते हैं तथा पारिवारिक संपत्ति पर सभी व्यक्ति अपना समान अधिकार समझकर उनका उपयोग करते हैं। इससे संपत्ति विभाजन की समस्या नहीं रहती है। विशेषकर गाँव में भूमि ही परिवार की संपत्ति होती है और इससे खेत टुकड़े-टुकड़े होने से बच जाते हैं।

(4) सामाजिक सुरक्षा :—

संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए सुरक्षा का कार्य करता है। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना, बीमारी, वैधव्य, पत्नी की मृत्यु आदि स्थिति में संयुक्त परिवार व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उसकी रक्षा का कार्य करता है।

(5) बच्चों का समुचित पालन पोषण :—